"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30–05–2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 473] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2013—आश्विन 26, शक 1935

गृह विभाग, सी-अनुभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-86/गृह-सी/2013.— राज्य शासन एतद्द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-28 (ए) में दिये गये प्रावधान तथा भारत निर्वाचन आयोग के परिपत्र क्रमांक 4/93/J. S. II, दिनांक 06 जनवरी, 1993 में दिये गये निर्देश अनुसार छत्तीसगद विधान सभा आम चुनाव 2013 हेतु पदाभिहीत समस्त पुलिस अधिकारी, ऐसे निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना दिनांक से प्रारंभ होकर ऐसे निर्वाचन के परिणामों के घोषित किये जाने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जावेंगे और तद्नुसार ऐसे पुलिस अधिकारी उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, ओएसडी/सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

क्रमांक एफ-4-86/गृह-सी/2013.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 18-10-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, ओएसडी/सचिव.

Naya Raipur, the 18th October, 2013

NOTIFICATION

No. F-4-86/Home-c/2013 .— In pursuance of the provision of Section 28-A of the Representation of the People Act, 1951 and in view of the directions contained in the Election Commission of India's letter No. 4/93/J. S. II, dated 06th January 1993, all Police Officers designated by the State Government for the conduct of the General Elections 2013 to Chhattisgarh Legislative Assembly shall be deemed to be on deputation to the Election Commission for the period commencing from the date of notification of calling for such election and ending with the date of declaration of the result of such election and such Police Officers shall be subject to control, superintendence and discipline of the Election Commission.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. N. UPADHYAY, OSD/Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.